

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18378/2017

अखिलेश कुमार भात्रा पुत्र श्री राम गोपाल भात्रा, निवासी डी-51, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 64, जयपुर, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू
सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर 302006 में है

----प्रतिवादी

से संबंधित

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18092/2017

विक्रम कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता, निवासी 29, संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम,
जयपुर, पूर्व निवासी 21/282, कावेरी पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 64, जयपुर, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू
सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर 302006 में है

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18542/2017

संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा, निवासी डी-51, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 64, जयपुर, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर 302006 में है

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19145/2017

संदीप मालू पुत्र श्री लाभ चंद मालू, निवासी डी-51, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 64, जयपुर, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर 302006 में है

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सिद्धार्थ रांका, अधिवक्ता सुश्री अपेक्षा बापना, अधिवक्ता, सुश्री सात्विका झा, अधिवक्ता, श्री मुजफ्फर इकबाल, अधिवक्ता और श्री रोहन चैटर, अधिवक्ता के साथ
प्रतिवादी के लिए	:	श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता सुश्री जया पी. पाठक, अधिवक्ता के साथ

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

आदेश

20/11/2024

अवनीश झिंगन, जे [मौखिक]:-

1. इन रिट याचिकाओं का निर्णय इस आदेश द्वारा किया जाता है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दा समान हैं। तथ्य डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18092-/2017 से लिए गए हैं।
2. इसमें शामिल मुद्दा यह है कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के बकाया कर की वसूली अधिनियम की धारा 179 को लागू करके निदेशक से की जा सकती है।
3. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मैसर्स पिकी ऑटो फाइनेंस लिमिटेड का एक गैर-कार्यकारी निदेशक था, जिसे बाद में मैसर्स गोल्डन फ्यूचर कैपिटल लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी') के नाम से जाना गया। निर्धारण वर्ष ('एवाई') 2007-08 के लिए कंपनी के खिलाफ कर और जुर्माने की मांग निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई गई थी। कंपनी से मांग की वसूली न होने पर, अधिनियम की धारा 179 के तहत दिनांक 22.08.2017 को याचिकाकर्ता को कंपनी के निदेशक के रूप में नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 30.08.2017 को जवाब दाखिल किया गया। अधिनियम की धारा 179 के तहत दिनांक 22.09.2017 को आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को ब्याज सहित बकाया मांग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अतः, यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 179 को केवल निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में ही लागू किया जा सकता है।
5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने चुनौतीपूर्ण आदेश का बचाव किया और निवेदन किया कि याचिकाकर्ता निदेशक था और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
6. आगे बढ़ने से पहले, हम अधिनियम की धारा 179 को इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं:-

"179. निजी कंपनी के निदेशकों का दायित्व

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निजी कंपनी से किसी पिछले वर्ष की किसी आय के संबंध में या किसी अन्य कंपनी से किसी पिछले

वर्ष की किसी आय के संबंध में, जिस दौरान ऐसी अन्य कंपनी एक निजी कंपनी थी, देय कोई कर वसूल नहीं किया जा सकता है, तो, प्रत्येक व्यक्ति जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निजी कंपनी का निदेशक था, ऐसे कर के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि गैर-वसूली का कारण कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से कोई घोर उपेक्षा, कुप्रबंधन या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।

(2) जहां एक निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाता है और किसी पिछले वर्ष की किसी आय के संबंध में निर्धारित कर, जिस दौरान ऐसी कंपनी एक निजी कंपनी थी, वसूल नहीं किया जा सकता है, तो, उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसी निजी कंपनी का निदेशक था, ऐसी निजी कंपनी की किसी भी आय के संबंध में देय किसी भी कर के लिए जो 1 अप्रैल, 1962 से पहले शुरू होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" अभिव्यक्ति में अधिनियम के तहत देय जुर्माना, ब्याज 77-78[, शुल्क] या कोई अन्य राशि शामिल है।"

7. अधिनियम की धारा 179 आयकर अधिकारियों को संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निदेशक रहे व्यक्ति से एक निजी कंपनी के बकाया की वसूली करने का अधिकार देती है। धारा 179(1) का उत्तरार्ध निदेशक पर यह नकारात्मक दायित्व डालता है कि वह यह साबित करे कि गैर-वसूली का कारण कंपनी के मामलों के संबंध में निदेशक की ओर से कोई घोर उपेक्षा, कुप्रबंधन या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं था।

8. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, यह विशेष रूप से निवेदन किया गया था कि 1997 से कंपनी को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था और यह कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान के साथ पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या U65923RJ1997PLC013870 है।

9. अधिनियम की धारा 179 के तहत आदेश पारित करते समय, इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया था कि कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। रिट याचिका के जवाब में दाखिल किए गए उत्तर में भी यही स्थिति है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कंपनी एक निजी कंपनी नहीं थी।

10. राजस्व अधिकारियों ने कंपनी की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति पर विवाद करने के लिए अधिनियम की धारा 179 के तहत जारी नोटिस और पारित आदेश में तथ्यात्मक आधार निर्धारित करने में विफल रहे।

11. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के निदेशक होने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 179 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, स्वीकृति योग्य है। यह धारा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी पर लागू नहीं होती है।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने एम. राजामोनी अम्मा बनाम उप आयकर आयुक्त (निर्धारण) में, जो [(1992) 195 ITR 873 SC] में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि:-

"यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 43-ए के तहत 1 अक्टूबर, 1975 से एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले बकाया निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1982-83 से संबंधित हैं। स्पष्ट रूप से, कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होने के कारण, कंपनी से देय कर की वसूली के लिए निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 179 के तहत नहीं की जा सकती है, और निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 265 स्पष्ट रूप से कानून के अधिकार के तहत करों की वसूली के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कंपनी से देय कर की वसूली के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।"

गुजरात उच्च न्यायालय ने राधे मोहन शर्मा बनाम उप आयकर आयुक्त (ओएसडी) में, जो [(2014)2 ITR-OL 568] में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि:-

"8. अधिनियम की धारा 179 एक निजी कंपनी के निदेशक पर प्रतिनिधिक दायित्व लगाती है, जिससे उसकी देयता उस निर्धारण वर्ष के कर बकाया के संबंध में कंपनी के साथ सह-विस्तृत हो जाती है जब वह निदेशक के रूप में कार्य करता है। हालांकि, कंपनी की देयता के संबंध में आयकर प्राधिकरण को इसकी वसूली पर जोर देना होगा और जब कंपनी ऐसी देयता का निर्वहन करने में असमर्थ होती है और ऐसे कर बकाया को वसूल करने के

लिए कर अधिकारियों के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो निदेशक को वसूली का नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है। ये प्रावधान निजी कंपनियों के संबंध में बनाए गए हैं और अधिनियम की धारा 179 की उप-धारा (2) यह स्पष्ट करती है कि एक सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के मामले में, यह प्रावधान ही लागू नहीं होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी विपरीत तथ्यों के अभाव में, जो या तो इस न्यायालय को कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की आवश्यकता हो या यह इंगित करने के लिए कुछ भी न हो कि कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी के अलावा कुछ और है, अधिनियम की धारा 179 का आह्वान ही गलत माना जाएगा। यह, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता का दायित्व होगा कि वह यह स्थापित करे कि कंपनी को देय कर की राशि की गैर-वसूली का कारण निजी कंपनी के मामलों के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कोई घोर लापरवाही, कुप्रबंधन या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं था, लेकिन, अधिनियम की धारा 179 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई, जब यह मान्य नहीं होगी, तो याचिका, इसलिए, सफल होने योग्य है।"

मद्रास उच्च न्यायालय ने आर. राजागोपालन बनाम उप आयकर आयुक्त में, जो

[(2021)18 ITR-OL 728] में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि:-

"12. इस न्यायालय को बिना किसी विवाद या असहमति के सूचित किया गया है कि आयकर अधिनियम में धारा 179 के समान कोई अन्य प्रावधान नहीं है, अर्थात् सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के संबंध में निदेशकों के हाथों में कंपनी को देय कर बकाया की वसूली। जिस भाषा में आयकर अधिनियम की धारा 179 व्यक्त की गई है, उसके आलोक में, यह एक अकाट्य परिणाम के रूप में आता है कि चुनौतीपूर्ण कार्यवाही वर्जित है और उन्हें रद्द करने योग्य है क्योंकि यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के निदेशकों के खिलाफ की गई है, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 179 केवल निजी लिमिटेड कंपनियों पर लागू होती है और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 179 के समान कोई अन्य प्रावधान नहीं है।"

13. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। चुनौतीपूर्ण नोटिस और आदेश रद्द किए जाते हैं।

14. राजस्व अधिकारियों को बकाया की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/78-81

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

